उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

<u>सूचना / विज्ञप्ति</u>

<u>उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025</u>
<u>लिखित परीक्षा के प्रसामान्यीकृत अंकों का प्रकाशन</u>

संख्याः पीआरपीबी–बी(उप निरीक्षक सवंर्ग)03 / 2025 दिनांकः जुलाई 21,2026

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के अन्तर्गत 4543 पदों को भरे जाने हेतु समांक विज्ञप्ति दिनांकित 12.08.2025 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर अन्तिम चयन परिणाम दिनांक 14.07.2026 को घोषित किया जा चुका है।

2. इस क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत भर्ती की लिखित परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत अंक (Normalised Score) प्राप्त करने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 22.07.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 21.08.2026 तक उपलब्ध रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरांत यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने पर उनके प्रसामान्यीकृत अंकों की सूचना बोर्ड द्वारा ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेगी।

3. अभ्यर्थी अपना प्रसामान्यीकृत अंक देखे जाने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन संख्या एवं जन्म तिथि अंकित कर पोर्टल पर लॉगिन कर सकेगें। पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा " Click here for Normalized Score" के टैब पर क्लिक करके अपने पंजीकृत ई–मेल आईडी पर प्रसामान्यीकृत अंक प्राप्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकृत ई–मेल अकाउंट सक्रिय रखें ।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि विज्ञप्ति एवं भर्ती प्रक्रिया की निर्धारित शर्तो के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाने हेतु प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक तथा समस्त विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं किए गए हैं, वह लिखित परीक्षा में असफल है, भले ही उनका प्रसामान्यीकृत अंक किसी श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट–ऑफ अंक के बराबर अथवा उससे अधिक है।

5.. यदि किसी अभ्यर्थी को अपना प्रसामान्यीकृत अंक देखने में कोई तकनीकी कठिनाई आती है, तो वह पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पडेस्क नम्बर के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करा सकता है।

6. प्रसामान्यीकृत अंकों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूच्य है कि यद्यपि इसे तैयार करने एवं वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिये बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

7. इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।